प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2025

नवाबगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रिक्शा चालक की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण, बालअपचारी की पुलिस अभिरक्षा व बरामदगी के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति–

कार्यवाही–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–311/2025 धारा 103(1) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए विधि विरूद्ध किशोर को बबीना जनपद झांसी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 26/27.08.2025 को वादी श्री सत्यनरायण पुत्र कल्लू निवासी उमरिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में सूचना दी गयी कि उनका भाई संगम लाल ई रिक्सा चलाने अयोध्या गये थे जिनका शव गाँव के बाहर शिवान (जंगल झाड़ी) मे पड़ा है। सूचना पर तत्काल राजपत्रित अधिकारीगण द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर निरीक्षण किया गया। मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए घटना के सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित 03 पुलिस टीमों का गठन कर प्रभारी नवाबगंज को घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 22.09.2025 को तकनीकी एवं मैनुअल साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी बालअपचारी को बबीना झांसी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिविरूद्ध किशोर की निशादेही पर घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर ही सड़क के किनारे झाड़ी मे मृतक का पर्स बरामद हुआ है जिसमे आधार कार्ड मौजूद है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर विधि विरूद्ध किशोर को किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस पूछताछ में विधिविरुद्ध किशोर द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 26.08.2025 को राममंदिर दर्शन हेतु अयोध्या आया था। स्टेशन पर ई–रिक्शा चालक संगम लाल से उसकी मुलाक़ात हुई, जिसने उसे 3 घंटे तक घुमाया और सुनसान स्थान पर ले जाकर अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने का दबाव डाला। विरोध पर हाथापाई हुई और उसने रिक्सा चालक के गले में पड़े गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद उसने मृतक का पर्स झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया।

बरामदगी–

01. मृतक का पर्स व आधार कार्ड

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. उ0नि0 संजीव कुमार सिंह थाना नवाबगंज गोण्डा।
02. हे0का0 राज किशोर थाना नवाबगंज गोण्डा।
03. हे0का0 सुनील यादव थाना नवाबगंज गोण्डा।
04. हे0का0 श्याम नरायन एस0ओ0जी0 टीम।
05. हे0का0 राशिद एस0ओ0जी0 टीम।
06. हे0का0 लोकेश नागर एस0ओ0जी0 टीम।
07. हे0 रवि यादव सर्विलांस सेल।
08. का0 अंशुमान पाण्डेय सर्विलांस सेल।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2025

थाना नवाबगंज पुलिस व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत रिक्शा चालक की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण, बालअपचारी की पुलिस अभिरक्षा व बरामदगी के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज व एस0ओ0जी0/सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–311/2025 धारा 103(1) बीएनएस की घटना का सफल अनावरण करते हुए विधि विरूद्ध किशोर को बबीना जनपद झांसी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 26/27.08.2025 को वादी श्री सत्यनरायण पुत्र कल्लू निवासी उमरिया थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में सूचना दी गयी कि उनका भाई संगम लाल ई रिक्सा चलाने अयोध्या गये थे जिनका शव गाँव के बाहर शिवान (जंगल झाड़ी) मे पड़ा है। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया। मृतक के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए घटना के शीघ्र सफल अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में एस0ओ0जी0/सर्विलांस सहित 03 पुलिस टीमों का गठन कर थाना प्रभारी नवाबगंज को घटना का सफल अनावरण कर अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। उक्त टीमों द्वारा घटना के सफल अनावरण हेतु कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा वृहद स्तर पर मैनुअल व टेक्निकल साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की गई। इसी क्रम में दिनांक 22.09.2025 को पुलिस टीमों द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्यारोपी बालअपचारी को बबीना झांसी से पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। विधिविरूद्ध किशोर की निशादेही पर घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर ही सड़क के किनारे झाड़ी में फेंका मृतक का पर्स बरामद हुआ है जिसमे आधार कार्ड मौजूद है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर विधि विरूद्ध किशोर को किशोर न्यायालय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया।

पूछताछ का विवरण–
पुलिस पूछताछ में विधिविरुद्ध किशोर द्वारा बताया गया कि वह जनपद झांसी में एक विद्यालय में ग्यारवीं का छात्र है। दिनांक 26.08.2025 को वो अकेला अयोध्या उत्सर्ग एक्सप्रेस ट्रेन से राममंदिर दर्शन हेतु रात्रि लगभग 11 बजे अयोध्या आया था। जिसका दर्शन हेतु पास प्रातः 03 बजे का था। अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात ई–रिक्शा चालक संगम लाल से हुई। जिसने उसे अपने रिक्शा में बैठा लिया। रिक्शा चालक द्वारा उसे दर्शन हेतु पर्याप्त समय होने के कारण विश्वास में लेकर उसे 3 घंटे तक घुमाता रहा और सुनशान स्थान खोजता रहा। आरोपी द्वारा बताया गया कि रिक्शा चालक द्वारा उसने सुनसान स्थान पर ले जाकर अप्राकृतिक सम्बन्ध बनाने हेतु दबाव डालते हुए यह कहने लगा कि यह मेरा गांव है तुम वापस यहां से अपने घर नही जा पाओगे।इसी बात को लेकर उन दोनो में हाथापाई हुई और रिक्शा चालक के गले में

पड़े गमछे से गला कसकर किशोर द्वारा उसकी हत्या कर दी गयी। घटना के बाद उसने मृतक का पर्स झाड़ियों में फेंक कर फरार हो गया।

<u>बरामदगी–</u>

01. मृतक का पर्स व आधार कार्ड

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम</u>

01. उ0नि0 संजीव कुमार सिंह थाना नवाबगंज गोण्डा।
02. हे0का0 राज किशोर थाना नवाबगंज गोण्डा।
03. हे0का0 सुनील यादव थाना नवाबगंज गोण्डा।
04. हे0का0 श्याम नरायन एस0ओ0जी0 टीम।
05. हे0का0 राशिद एस0ओ0जी0 टीम।
06. हे0का0 लोकेश नागर एस0ओ0जी0 टीम।
07. हे0 रवि यादव सर्विलांस सेल।
08. का0 अंशुमान पाण्डेय सर्विलांस सेल।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–
श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–402/25, धारा 103(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त पवन कुमार पुत्र राम सूरत, ग्राम बकसैला, थाना उमरीवेगमगंज जनपद गोण्डा को राजापुर गेट जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 22.09.2025 को थाना परसपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कुम्हारन पुरवा, राजापुर में पवन कुमार पुत्र रामसूरत निवासी बक्सैला, थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा ने अपनी पत्नी संगीता की मारपीट कर हत्या कर दी तथा अपने ससुर मंगल को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घायल मंगल को सीएचसी परसपुर भिजवाया गया है। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों द्वारा स्थानीय पुलिस बल के साथ घटलास्थल पर पहुचकर मौका मुआयना किया गया। मृतका के शव के पंचायतनामा की कार्यवाही कर पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। फील्ड यूनिट/डॉग स्क्वायड टीम को घटना स्थल पर बुलाकर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करायी गयी। घायल को सीएचसी परसपुर से जिला अस्पताल गोण्डा रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ग्राम प्रधान कमलेश कुमार सिंह की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर थानाध्यक्ष परसपुर को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में पुलिस टीमों द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पवन कुमार पुत्र राम सूरत, ग्राम बकसैला, थाना उमरीवेगमगंज जनपद गोण्डा को राजापुर गेट जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण–
अभियुक्त पवन कुमार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसका विवाह वर्ष 2017 में संगीता (पुत्री मंगल प्रजापति, निवासी ग्राम कुम्हारन पुरवा, राजापुर, थाना परसपुर) के साथ हुआ था। वह रोजी–रोटी के सिलसिले में दिल्ली, पंजाब और कानपुर में मेहनत मजदूरी करता था। तीन वर्ष पूर्व जब उसकी सास गीता देवी की तबियत खराब हुई, तो संगीता ने उन्हें दिल्ली ले गई, और वहीँ उसकी संगीता की मुलाकात सुनील माली से हुई। सास की मृत्यु के बाद संगीता अपने पिता मंगल के साथ रहने लगी। ससुर को लगभग एक वर्ष पूर्व पैरालिसिस का अटैक आया, जिसके चलते अभियुक्त बाहर मजदूरी नहीं कर पाया और उनके इलाज के लिए कर्ज लिया। ससुर ने उसकी और संगीता की सेवा देखते हुए अपनी वसीयत उनके नाम कर दी। संगीता सुनील माली से बातचीत के बाद बदल गई थी और उसकी बात नहीं मानती थी। कानपुर जाने पर उसे पता चला कि सुनील माली ने उसके ससुर की वसीयत अपने नाम करवा ली है। घर लौटने पर संगीता उसके साथ उचित व्यवहार नहीं कर रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसने संगीता को गला दबाकर मार दिया, फिर अपने ससुर मंगल का गला दबाया। इसके बाद स्वयं को बचाने कमरे में लगे बिजली के बोर्ड को तोड़ कर करेंट लगाया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. पवन कुमार पुत्र राम सूरत, ग्राम बकसैला, थाना उमरीवेगमगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–402/25, धारा 103(1) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम

01. एस0ओ0 अनुज त्रिपाठी, थाना परसपुर।
02. व0उ0नि0 अमित सिंह।
03. कां0 रंजीत कुमार।
04. कां0 राजेश यादव।
05. म०कां० अंजू रावत।
06. हे0का0 राजेश कुशवाहा, चालक

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपदीय एण्टीरोमियों स्क्वायड टीमों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक, फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को किया गया चिन्हित–

गोण्डा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में जनपद की एण्टी रोमियों स्क्वायड टीमों द्वारा आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए गए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों, स्कूलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओ को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने–जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए तथा फीडबैक फार्म भरवाकर हॉटस्पॉट क्षेत्रों को चिन्हित किया गया साथ ही महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि गोण्डा पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही एण्टीरोमियों स्क्वायड टीम द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है–

112– पुलिस आपातकालीन सेवा
1090– वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076– माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108– एंबुलेंस सेवा
1930– साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098– चाइल्ड हेल्पलाइन
102– स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा बताया गया कि महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस एवं समाज के बीच विश्वास का वातावरण और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में बिना हिचकिचाहट पुलिस से तुरंत संपर्क करें। जनपद गोण्डा पुलिस महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना को और प्रबल किया जा सके।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.09.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 07 वर्ष का कारावास व रूपये 40,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 11.06.2017 को थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम अशोकपुर के रहने वाले धनई निषाद द्वारा अपने ही गांव के रहने वाले एक 12 वर्षीय लड़के के साथ अप्राकृतिक दुराचार किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त धनई निषाद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 17.06.2017 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 23.09.2025 को थाना नवाबगंज में पंजीकृत दुराचार सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अशोक सिंह, थाना नवाबगंज के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो कोर्ट गोण्डा महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त धनई निषाद को दोषसिद्ध करते हुए 07 वर्ष का कारावास व रू0 40,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. धनई निषाद पुत्र नीवर नि0 ग्राम अशोकपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–223/17, धारा 377,323,511 भादवि व 7/8 व 4/18 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।